

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 03/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2026

सा.का.नि...(अ).- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 05/2023-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2023, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 78 (अ) दिनांक 1 फरवरी, 2023 के तहत प्रकाशित हुई थी, को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई और करने से लोप की गई बातों को छोड़ते हुए, करती है।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2026 को प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 334/05/2026-टीआरयू]

(धीरज शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार